

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302005
दूरभाष सं० 0141-2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई-मेल: dlbrajasthan@gmail.com


क्रमांक:-प.2(क)()जॉच/डीएलबी/19/2265

दिनांक: 13/09/19


-: आदेश :-

श्री सुशील कुमार शर्मा, सभापति नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रारम्भिक जॉच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अनियमितता होना पाया गया है। श्री सुशील कुमार शर्मा, सभापति नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध लगाये गये आरोप काफी गम्भीर प्रकृति के पाये जाने के कारण जो दुराचरण की श्रेणी में आते हैं, राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जॉच करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण न्यायिक जांच हेतु प्रेषित किया गया है। श्री सुशील कुमार शर्मा, सभापति नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के पद पर बने रहने से न्यायिक जॉच प्रभावित किये जाने की संभावना है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री सुशील कुमार शर्मा, सभापति नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को सभापति एवं सदस्य के पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।



उज्ज्वल राठौड़
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग


राज्यपाल की आज्ञा से,


(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक: 13/09/19

क्रमांक:-प.2(क)()जॉच/डीएलबी/19/2266-75
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज० राजपत्र के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
02. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज० जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
07. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय, को भेजकर लेख है कि प्रकरण में केवियट दायर करावें।
08. आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़।
09. श्री सुशील कुमार शर्मा, सभापति नगर परिषद चित्तौड़गढ़।
10. सुरक्षित पत्रावली।


(रक्षा पारीक)
सहायक निदेशक (सतर्कता)


उज्ज्वल राठौड़
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग